संख्या-129/2016/256/22-2-2016-17(94)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2016***

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी झब्बर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी-जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी झब्बर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम रायगढ बेहडा, थाना-हुजूरपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमें की रंजिश में झूठा फंसाये जाने को लेकर दिनांक 03-09-1998 को अपने 07 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा, बन्दूक, वांका व लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1996 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302,307,323 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, बहराइच द्वारा दिनांक 06-12-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। क्रिमि0 अपील संख्या-647/99 मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 09-09-2003 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19-03-2013 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया। बन्दी के 07 सहअभियुक्त है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.08.2015 तक 13 वर्ष 06 माह 13 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 11 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा मछली मारने का ठेका लेने के विवाद में हत्या का अपराध किया गया, रंजिश का कारण आज भी है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उसके सजा की सम्पूर्ण अवधि तक निरूद्ध रखा जाना आवश्यक है। बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट बहराइच ने पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी झब्बर सिंह (बन्दी संख्या-20/2002) पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-129/2016/256/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in